

7/161

15016/10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 785173



श. क. 721121m



विक्रय पत्र

10 AUG 2010
 उत्तर प्रदेश सरकार
 अर्थ विभाग
 गैर न्यायिक पत्र

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : बिजनौर
3. ग्राम : बरौना
4. सम्पत्ति का विवरण : भूमि खसरा संख्या -1432, 1474,
(सम्पत्ति नं०) 1491



A. क. 721121m



विक्रय पत्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ 785175 जं
 03 AUG 2010
 स. कोषाधिकारी
 जम्दारी कोषागार लखनऊ
 कलेक्टर, कोषागार लखनऊ

- 3 -

चौहद्दी

खसरा न० 1432

- पूरब : खसरा संख्या-1429, 1474
- पश्चिम : खसरा संख्या-1439
- उत्तर : खसरा संख्या-1431, 1433
- दक्षिण : खसरा संख्या-1472, 1491


खसरा न० 1474

- पूरब : खसरा संख्या-1475
- पश्चिम : खसरा संख्या-1432
- उत्तर : खसरा संख्या-1432
- दक्षिण : खसरा संख्या-1491

A. M. [Signature]


[Signature]

 वीर-9



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 4 -

खसरा न० 1491

पूरब : खसरा संख्या-1490
 पश्चिम : खसरा संख्या-1472
 उत्तर : खसरा संख्या-1474
 दक्षिण : खसरा संख्या-1494

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
गंगाराम पुत्र स्व० छेदा, निवासी- यूसुफ नगर बगियामऊ, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय - कृषि		वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम, निवासी-90 पूरे निद्धी, केलौली, गुरुबक्श गंज, जिला-रायबरेली। व्यवसाय-कृषि


A. K. Jaiswal


वीरेन्द्र कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 147324

09 AUG 2019

- 5 -

विक्रय विलेख


यह विक्रय विलेख गंगाराम पुत्र स्व० छेदा, निवासी-
यूसुफ नगर बगियामऊ, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला
लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है,

एवम

वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम, निवासी-90 पूरे
निदधी, केलौली, गुरुबक्श गंज, जिला-रायबरेली जिन्हें आगे
क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।


A. K. गंगाराम


वीरेन्द्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 480212

- 6 -

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या-1432 रकबा 0.762 हेक्टेअर, खसरा संख्या-1474 रकबा 0.152 हेक्टेअर, खसरा संख्या-1491 रकबा 0.032 हेक्टेअर, कुल तीन किता व कुल रकबा 0.946 हेक्टेअर में से अपना 1/2 भाग रकबा 0.473 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-बरोना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है जो विक्रेता को जरिये बेनामा प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता

A. K. ...

...

खतौनी क्रम संख्या-00307 के अनुसार विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरुत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 12,15,042/- (रूपया बारह लाख पन्द्रह हजार बयालिस मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कतई किया और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अुनसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज से बखूबी करा दिया। अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न

A. M. गगाराज

विमल वरिन्ड

मिले या कही विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम बरौना, परगना- बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू


A. M. ...


... 01/11-29

कीमत 22,50,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.473 हेक्टेअर की मालियत रू0 10,64,250/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क 85,150/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रू0 12,15,042/- (रुपया बारह लाख पन्द्रह हजार बयालिस मात्र) द्वारा चेक संख्या-313674 ... दिनांकित 17.08.2010 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 12,15,042/- (रुपया बारह लाख पन्द्रह हजार बयालिस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए।


A. K. Sharma


K. S. Singh

विक्रय पत्र

1,215,042.00/ 1,065,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल गालियत
श्री गंगा राम
पुत्र श्री स्व0छेदा
व्यवसाय कृषि

निवासी स्वामी युसुफनगर बगियामऊ विजनीर लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/8/2010 समय 4:08PM
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

A. B.



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के. छिबंदी
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

17/8/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद रानने व खनने में प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
दिकेला केला

श्री गंगा राम
पुत्र श्री स्व0छेदा
पेशा कृषि
निवासी युसुफनगर बगियामऊ विजनीर लखनऊ

A. B.



श्री वीरेन्द्र कुमार
पुत्र श्री रामराम
पेशा कृषि
निवासी 90 पूरे निंदी केलीली जिला रायबरेली

A. B.



ने निष्पादन स्वीकार किया।

दिनको पहचान श्री मंकाज झा
पुत्र श्री राम नरेश झा
पेशा नौकरी

निवासी लालबागलखनऊ

व श्री भगवानदीन अंगवानदीन
पुत्र श्री गंगाराम

पेशा कृषि
निवासी युसुफनगर बगियामऊ लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षता मद्र नरेशियों के निशान अंगुठे त्रियमानुसार लिखे गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के. छिबंदी
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

17/8/2010

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट: पृष्ठ संख्या- 9 पर चेक संख्या काले पेन से लिखी है।

दिनांक:-17.08.2010

लखनऊ

गवाहान:-

1. पंकज झा/0
श्रीम नरेश झा
(लालबाग, लखनऊ)


श्रीम नरेश झा
विक्रेता

2. अगवानदीन गंगाराम
बगियामऊ (लालबाग)


अगवानदीन गंगाराम
क्रेता

टाईमकर्ता:

(राम खनेही)

मसविदाकर्ता:

(मंयक श्रीवास्तव)
एडवोकेट,

विक्रेता

Registration No. : 15016

Year : 2010

Book No. : 1

0101 गंगा राम

स्वच्छेदा

पुस्तकालय अभियानक विजयीर लखनऊ

कृषि



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता:- गंगाराम पुत्र स्व० छेदा, निवासी- यूसुफ नगर बगियामऊ,
परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता का नाम व पता- वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम, निवासी-90 पूरब दिवानी,
केलौली, गुरुबक्श गंज, जिला-रायबरेली ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता का हस्ताक्षर
वीरेन्द्र

क्रेता

Registration No. : 15016

Year : 2,010

Book No. : 1

0201 वीरेन्द्र कुमार

राजाराम

90 पूरे निन्दी केसली जिला रायबरेली

कृषि



नक्शा नजरी

खसरा सं० - 1432, 1474, 1491

ग्राम — बरीना

विक्रेता — गंगाराम पुत्र स्व. देवा

क्रेता — विरन्धु कुमाठ पुत्र राजाराम



विक्रेता


गंगाराम

क्रेता


विरन्धु कुमाठ

आज दिनांक 17/08/2010 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 11895

पृष्ठ सं. 163 से 186 पर क्रमांक 15016

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



पी.के.द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

17/8/2010